



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

राज्य सभा के पटल पर
रखे जाने वाले धागज पत्र

असाधारण
EXTRAORDINARY

PAPERS TO BE LAID ON THE
TABLE OF RAJYA SABHA

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(किरेन रीजु)
गृह राज्य मंत्री

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

(KIREN RIJU)
MINISTER OF STATE (HOME)

सं. 14]
No. 14]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 8, 2016/पाँच 18, 1937
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8, 2016/PAUSA 18, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी 2016

सा.का.नि. 14(अ)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 50), की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 2015 है ।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, 2001 में,—

(i) नियम 58 के, उप-नियम (1) में, परंतुक के लिए निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह कि बल सदस्य जो दस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने से पूर्व राज्य या केन्द्रीय सरकार के संघ नियंत्रण से भिन्न संगठनों में पद ग्रहण करने के लिए त्यागपत्र या तकनीकी त्यागपत्र जिसके लिए कांडर नियंत्रण दिए गए हैं, देता है से उसके त्यागपत्र या तकनीकी त्यागपत्र स्वीकृत किये जाने से पूर्व बल में उसको दी गई प्रशिक्षण की लागत लौटाने की या तीन मास के वेतन और भत्ते के समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, वापस करने की अपेक्षा की जाएगी ।

(ii) परिशिष्ट “क” में कगार के पारूप के संघ में मद संख्या (iii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात् :-

(iii) बल में कार्य ग्रहण करने की तारीख से दस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने से पहले, राज्य या केन्द्रीय सरकार के संघ नियंत्रण के अधीन किसी संगठन में कार्य को स्वीकार करने से भिन्न कारण से, जिसके लिए संघ द्वारा स्वीकृति दी गई है, बल से अपना त्यागपत्र या तकनीकी त्यागपत्र दिए जाने की दशा में बल में प्रदान किए गए प्रशिक्षण को संपूर्ण लागत अथवा तीन मास के वेतन और भत्ते के समतुल्य रकम का, इस में से जो भी अधिक हो, प्रतिसदाव करूंगा ।”

[सं. ई-32012/(ii)/2014/एसाएंडआर/कार्मिक-1]

हरीश चन्द्र, निदेशक (कार्मिक-1)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II खंड 3, उपखंड (i) में सा.कानि. संख्यांक 825 (अ), तारीख 5 नवंबर, 2001 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक सा.कानि. 462(अ) तारीख 9 जून, 2003, सा.कानि. 356 तारीख 11 अक्टूबर, 2003, सा.कानि. 533(अ), तारीख 3 अगस्त, 2007 तथा सा.कानि. 485(अ), तारीख 12 जुलाई, 2013 द्वारा संशोधित किए गए

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2016

G.S.R. 14(E).—In exercise of the powers conferred by section 22 of the Central Industrial Security Force Act, 1968 (50 of 1968), the Central Government hereby make the following rules further to amend the Central Industrial Security Force Rules, 2001, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Industrial Security Force (Amendment) Rules, 2015.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Industrial Security Force Rules, 2001,—
 - (i) in rule 58, in sub-rule (1), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—
“Provided that a member of the force who tenders his resignation or technical resignation before completion of ten years regular service to join any organisation other than directly under the State or the Central Government for which cadre clearance has been given, shall be required to refund the cost of training imparted to him in the Force, or a sum equal to three month's pay and allowances, whichever is more, before his resignation or technical resignation is accepted.”
 - (ii) in APPENDIX “A” relating to FORM OF AGREEMENT, for item (iii), the following item shall be substituted, namely:—
 - “(iii) refund all the cost of training imparted to me in the Force, or a sum equal to three month's pay and allowances, whichever is more, in the event of tendering my resignation or technical resignation from the Force before completion of ten years regular service from the date of joining the Force, for any reason other than accepting a job in any organisation directly under the State or the Central Government for which cadre clearance has been given.”

[No. E-32012/(ii)/2014/L&R/PERS.I]

HARISH CHANDER, Director (PERS. I)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 825 (E), dated the 5th November, 2001 and subsequently amended vide notification numbers G.S.R. 462 E, dated the 9th June, 2003, G.S.R. 356, dated the 11th October, 2003, G.S.R. 533(E), dated the 03rd August, 2007, and G.S.R. 485(E), dated the 12th July, 2013.